भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अम्ब्रेला स्कीम भारतीय परियोजना के अन्तर्गत वाराणसी–कोलकाता एक्सप्रेसवे राजमार्ग पैकेज–II का औरंगाबाद जिला अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 16.01.2023 को पूर्वाह्न 11:30 बजे प्रखंड कार्यालय, अम्बा, अंचल–कुटुम्बा, जिला–औरंगाबाद में आयोजित लोक सुनवाई का वृत।

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File.No. 10/11/2022-IA.III, dated 25-04-2022 (प्रस्ताव संख्या IA/BR/NCP/253236/2022) के आलोक में श्री कमलेश सिंह, अपर जिला दण्डाधिकारी सह लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला–औरंगाबाद (जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 16.01.2023 को पूर्वा० 11:30 बजे प्रखण्ड कार्यालय अम्बा, अंचल–कुटुम्बा, जिला–औरंगाबाद में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)

उक्त लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, आज नवबिहार टाइम्स एवं द टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 09.12.2022 को प्रकाशित की गयी थी(प्रतिलिपि संलग्न)। लोक–सुनवाई के दो दिन पूर्व Miking द्वारा भी लोक–सुनवाई की सूचना स्थानीय आम जनता को दी गयी। लोक–सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, गया द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 के तहत् इकाईयों के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

लोक–सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के तकनीकी सलाहकार श्री नितीश कुमार ने राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं विकास कार्य, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल कारपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में आम–जनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि प्रस्तावित एक्सप्रेसवे औरंगाबाद जिला के तहसील (नबीनगर) के लगभग 48 गाँवो से होकर गुजरती है। प्रस्तावित परियोजना की लम्बाई 40.200 किलोमीटर है। कुल अधिग्रहित भूमि 345.30 हेक्टेयर (सरकारी भूमि 90.0, निजी भूमि 217.30 एवं वन भूमि 33.0 हेक्टेयर) है। यह एक हरित क्षेत्र संरेखण है और 4 / 6 लेन के लिए प्रस्तावित है।

प्रस्तावित परियोजना के दौरान प्रमुख पुल–(02), छोटे पुल–(08), छोटे पुल सह अंडरपास–(09), वाहन अंडरपास–(02), एसवीयूपी–(01) , एलवीयूपी–(02), फ्लाई ओवर–(03), इंटरचेंज–(02), बाक्सकल्वरर्टस–(31) एवं सुरंग(टनल) का निर्माण प्रस्तावित है।

कुल पानी की आवश्यकता–1,250 कि०ली०/दिन। निर्माण सामग्री में कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, स्टील, बिटुमेन, बिटुमेन इमल्शन, मोटी रेत एवं मिट्टी/फ्लाई ऐश का उपयोग प्रस्तावित है।

परियोजना लागत रू० 2500.00 करोड़ होगा।

प्रस्तावित सड़क परियोजना का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य में दूरी और यात्रा के समय को कम करना और दूरदराज के क्षेत्रों और प्रमुख शहरों को जोड़ना है। परियोजना इन क्षेत्रों के विकास पर जोर देती है और इन्हें संसाधनों के साथ उपलब्ध कराती है।

पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी)–परियोजना के निर्माण चरण, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण जिम्मेदारियों के दौरान प्रस्तावित उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना विशिष्ट पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की गयी है। पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) को पर्यावरण और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर विभिन्न नियामक आवश्यकताओं के ढांचे के भीतर डिजाईन किया गया है जिसका लक्ष्य निम्नलिखित हैः–

1. देशी वनस्पतियों और जीवों, यदि कोई हो, को कम से कम प्रभावित हो।
2. वायु, जल मिट्टी और ध्वनि प्रदूषण, यदि कोई हो, को रोकना और कम करना।
3. सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

एक्सप्रेसवे के दोनो तरफ वृक्षारोपण I.R.C.SP21 2009 एवं हरित राजमार्ग नीति 2015के अनुसार कराया जाएगा जिसमें मार्ग के दोनो तरफ पंक्तियों में विभिन्न प्रकार के छायादार पौधे लगाए जाएंगे। जिससे वातावरण शुद्ध रहेगा।

प्रस्तावित परियोजना के अन्दर 33 हेक्टेयर अर्जित वनभूमि के अन्दर 5.5 किलोमीटर संरक्षित वनभूमि भी आता है। शोर का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव प्रत्याशित नहीं है। मिट्टी के काम और निर्माण सामाग्री के लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाएगा। यातायात के दौरान सभी निर्माण सामाग्री को तिरपाल से ढक कर ले जाएगा। सभी निर्माण मशीनरी को नियत्रंण उपकरणो से संचालित किया जाएगा। और किसी गतिविधि से पहले राज्य प्रदूशण नियत्रंण पर्षद् से सहमति प्राप्त की जाएगी।

निर्माण के दौरान ठोस अपशिष्ट का निपटान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

इस परियोजना के अनेकों लाभ हैः–

- प्रस्तावित संरेखण वाराणसी–कोलकाता एक्सप्रेसवे, रोहतास जिले में रामपुर गांव से औरंगाबाद जिले में तेतरहार गांव को जोड़ रहा है।
- इस परियोजना के आस पास के क्षेत्र में आने वाले गाँवों–कस्बो की आर्थिक उन्नति होगी।
- कृषि बाजार पहुंच में सुविधा होगी।
- औद्योगिक संपर्क (कनेक्टिविटी) को बढ़ावा मिलेगा।
- प्रस्तावित सड़क परियोजना के आस पास स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल के निर्माण में बढ़ावा मिलेगा।

➢ प्रस्तावित सड़क परियोजना के आस पास के लोगो को योग्यता अनुसार रोजगार के अवसर प्रदान होंगे।

परियोजना प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिये गये सुझाव/मंतव्य इस प्रकार है:–

1. श्री छोटेलाल पाण्डेय, पिता–स्व. रामनन्दन पाण्डेय, ग्राम–बेरवा, अम्बा, कुटुम्बा, जिला–औरंगाबाद के द्वारा बतलाया गया कि इस परियोजना के कारण ग्रामीणों के द्वारा वर्षो पूर्व लगाये गये पेड़–पैधा को काटा जायेगा, इसके लिए सरकार के द्वारा क्या उपाय किया जायेगा।

   पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा सूचित किया गया कि एक पेड़ कटने के बदले मे दस पेड़ निर्माणाधीन सड़क के किनारे लगाया जायेगा।

2. श्री प्रमोद कुमार सिंह, पिता–श्री इन्द्रदेव सिंह, ग्राम–सिंघना, प्रखण्ड–अम्बा, अंचल–कुटुम्बा, जिला–औरंगाबाद के द्वारा बतलाया गया कि प्रस्तावित निर्माण कार्य होने के क्रम में काफी मात्रा में पानी का बहाव होगा। जहां घनी आबादी का गांव है वहा इसके लिए क्या उपाय किया जायेगा।

   पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा सूचित किया गया कि होने वाले जल बहिश्राव के निवारण के लिए ड्रेनेज का निर्माण किया जायेगा।

3. श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, पिता–श्री अशोक कुमार पाण्डेय, ग्राम–धनीबाग,प्रखण्ड–अम्बा, अंचल–कुटुम्बा, जिला–औरंगाबाद के द्वारा बतलाया गया कि योजना शुरू होने के पहले बहुत चीज बताया जाता है, जिसमें पानी का छिड़काव नियमित रूप से नहीं होता है। धुलकण का कु–प्रभाव निर्माण के क्रम में ग्रामीणों के स्वास्थ एवं इनके फसल पर पड़ता है।

   पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा सूचित किया कि निर्माण के क्रम में उत्सर्जित होने वाले धूलकण का प्रभाव स्थानीय स्तर पर नहीं हो, इसके लिए प्रयाप्त मात्रा में टैकर के माध्यम से जल का छिड़काव किया जायेगा।

4. श्री मधुसुदन पाण्डेय, ग्राम–एड़का, प्रखण्ड–अम्बा, अंचल–कुटुम्बा, जिला–औरंगाबाद।
5. श्री धरमेन्द्र शर्मा, प्रखण्ड–अम्बा, अंचल–कुटुम्बा, जिला–औरंगाबाद।
6. श्री कुमार लाल सिंह, ग्राम–सण्डा पंचायत, प्रखण्ड–अम्बा, अंचल–कुटुम्बा, जिला–औरंगाबाद।
7. श्री हरिलाल दास, ग्राम–डूमरा पंचायत, पंचायत, प्रखण्ड–अम्बा, अंचल–कुटुम्बा, जिला–औरंगाबाद।
8. श्री नरेश पाण्डेय, ग्राम–एड़का, पंचायत, प्रखण्ड–अम्बा, अंचल–कुटुम्बा, जिला–औरंगाबाद।

9. श्री वषिष्ट प्रसाद सिंह, ग्राम–एड़का पंचायत, प्रखण्ड–अम्बा, अंचल–कुटुम्बा, जिला–औरंगाबाद।

उपरोक्त क्रम संख्या–4–9 तक सभी महानुभाव द्वारा अधिग्रहित होने वाले जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलने एवं रसीद नहीं कटने की बात कही गई।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर सूचित किया कि इस संबंध में जिला–प्रशासन स्तर पर कार्रवाई चल रही है एवं शीघ्र ही समुचित समाधान सरकार के द्वारा लिये गये नितिगत निर्णय के आधार पर कर ली जायेगी।

अध्यक्ष महोदय (अपर समाहर्त्ता–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, औरंगाबाद) द्वारा बताया गया कि भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत वाराणसी–कोलकाता खंड के 4/6 लेन पथ निर्माण हेतु औरंगाबाद जिला के तीन अंचल नवीनगर, कुटुम्बा, देव के कुल 52 मौजों की भूमि अधिग्रहण की जा रही है। अधिग्रहित भूमि का NH Act 1956 की धारा 3A के तहत गजट का प्रकाशन किया गया है। 3D प्रकाशन की कार्रवाई की जा रही है। अधिग्रहित भूमि के हितबद्ध रैयतों को नियमानुसार मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जाती है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि आपलोग की बात का ध्यान रखा जाएगा। परियोजना के दौरान स्थानीय जनता को विश्वास में लेने की आवश्यकता है। ऐसा प्रयास होना चाहिए कि प्रदूषण न्यूनतम हो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा लोक–सुनवाई के पश्चात् उपस्थित जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गयी तथा लोक–सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी बि.रा.प्र.नि.पर्षद,गया	अपर समाहर्त्ता सह पी.जी.आर.ओ. औरंगाबाद

उपस्थिति सूची

मे0 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अम्ब्रेला स्कीम भारतीय परियोजना के अन्तर्गत वाराणसी–कोलकाता एक्सप्रेसवे राजमार्ग पैकेज–II का औरंगाबाद जिला अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0–एस. ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 16.01.2023 को पूर्वाह्न 11:30 बजे प्रखंड कार्यालय, अम्बा, अंचल–कुटुम्बा, जिला–औरंगाबाद में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

क्र0सं0	नाम	पता एवं मोबाईल नं0	हस्ताक्षर
1.	Kamlesh Singh ADM ABIRO	Collectorate office	[signature] 16/1/23
2.	Himanshu Kumar RO Kutumba.	Circle office Kutumba 9523146252	[signature]
3.	Supriya Anand RO Nabinagar.	Nabinagar Anchal	[signature] 16.1.23
4.	[illegible] Singh [illegible]	[illegible]	[signature]
5.	Manoranjan Kr. Singh R.O. Gaya	B.S.P.C. Board. Patna 9835086107	[signature] 16.01.23
6.	Kumar Ashutosh	Mgr(T), NHAI PIU Gaya	[signature] 16/01/23.
7.	Shashank Shekhar Singh Site Engr.	NHAI, PIU - Varanasi	[signature]
8.	DHARMENDRA SHARMA	अम्बा 9709299632	[signature]
9.	[illegible] Prasad RIC	Kutumba 7783870315	[signature] 16/01/2023
10.	[illegible]	कुटुम्बा 9939016291	[signature] 16/1/2023
11.	कुमार [illegible] सिंह	[illegible] पंचायत 9934783248	[signature] 16/1/23
12.	HARILAL DAS	डुमरा पंचायत 7004641841	[signature] 16/01/23
13.	[illegible]	[illegible]	
14.	[illegible]	[illegible] 7296065288	7296065288

15.	Madan Pandey	9934064385	M Pandey
16.	राम उमेश पाण्डेय	9631589200	[signature]
17.	देवेन्द्र कुमार पाण्डेय	8873518861	देवेन्द्र कुमार पाण्डेय
18.	अरुण कुमार सिंह	9801029899	[signature]
19.	[illegible]	9973166175	
20.		[illegible]	[illegible]
21.	Ashish Kr Singh	9122846670	Ashish Kr Singh
22.	Alakh Lal Pandey	9431474012 Vill- ARKU - Po- AMBA	Alakh Lal Pandey
23.	Sanjay Kumar Singh	9661134032 Sr. Manager Land Acquisition Site office Mohaniya	[signature]
24.	राज कुमार पाण्डेय	[illegible]	राज कुमार पाण्डेय
25.	[illegible]	ग्राम- [illegible] 9931892178	[illegible]
26.	नरेश पाण्डेय	एरका मो- 9708264323	नरेश पाण्डेय
27.	Pramod Kr Singh	AT+PO Singhpura 8292661455	Pramod Singh
28.	अमरजीत कुमार साव	बसौरा 9835735938	अमरजीत कुमार साव
29.	रामजतन महतो	9771998523 सोरा	रामजतन महतो
30.	सुनील साव	[illegible]	
31.	[illegible] देवी	[illegible] 8969684511	
32.	[illegible] राम	[illegible]	
33.	राम [illegible]	बरहेता 8084014021	[illegible]

34.	[illegible]	[illegible] 9065436827	
35.	[illegible]	मास्कुटिकरी 9548221716	मानफूलव
36.	[illegible] देवी	कलामासूआरी	
37.	[illegible] देवी	काला मासूआरी	
38.	[illegible] देवी	मास्कुटिकरी	2
39.	[illegible]	कालामासूआरी	
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			